| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ |
|---|---|---|
| 25.11.2014 | **सारण समाहरणालय, छपरा।**<br>**न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा**<br>**जिला विधि प्रशाखा**<br>**अधिग्रहण वाद सं0 10/2014**<br>**सरकार (मार्फत अनुमंडल पदाधिकारी, सदर)**<br>**बनाम**<br>**राज कुमार सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक एवं अन्य**<br>**आदेश**<br>यह अधिग्रहण वाद अनुमंडल पदाधिकारी, सदर के पत्रांक 143/आपूर्त्ति दिनांक 15.3.2014 के द्वारा समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ की गई।<br>इस वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 2.3.14 को रविवार बंदी के दिन राज्य खाद्य निगम गोदाम को खोलकर ट्रक सं0 बी.आर.01जी. बी.1765 पर लदे 200 पैकेट वनज 100 क्विंटल चावल को पकड़कर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गरखा के द्वारा स्थानीय थाना में रखा गया एवं सहायक गोदाम प्रबंधक राज कुमार सिंह तथा अन्य के विरूद्व गरखा थाना में प्राथमिकी संख्या 42/14 दिनांक 2.3.14 दर्ज कराया गया।<br>अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा के पत्रांक 187 दिनांक 30.4.14 के द्वारा इस न्यायालय के ज्ञापांक 143 दिनांक 26.3.14 के प्रसंग में प्रतिवेदित किया गया कि अवकाश के दिन रविवार को गोदाम खोलने तथा सहायक गोदाम प्रबंधक की अनुपस्थिति में खाद्यान्न उठाव करने की वजह से संदेह के आधार पर छापामारी की कार्रवाई की गयी।<br>जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा के पत्रांक 1075 दिनांक 25.7.14 के द्वारा प्रेषित पत्र में अनुरोध किया गया है कि चूँकि 28.2.14 को पॉच ट्रक आने के कारण सभी ट्रकों को शनिवार को गोदाम में नहीं उतारा जा सका था, इसलिए वर्णित ट्रक से रविवार को गोदाम में खाद्यान्न उतारा जा रहा था। जप्त ट्रक की आवश्यकता अत्यधिक होने की वजह से इसे शीघ्र विमुक्त करने का अनुरोध किया गया।<br>दिनांक 31.10.14 को सुनवाई के उपरान्त जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा से अवकाश के दिन गोदाम खोलने के बिन्दु पर प्रतिवेदन की मॉग की गयी। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा के पत्रांक 1496 दिनांक 10.11.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कार्य की अधिकता को देखते हुए करीब–करीब प्रत्येक रविवार को सभी गोदामों में खाद्यान्न अनलोडिंग का कार्य किया जाता है। गोदाम में अवकाश के दिन खाद्यान्न उतरवाना अनियमितता नहीं कहा जा सकता है। | |

विपक्षी (वाहन मालिक) अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ आज उपस्थित हुए। उनके विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि वाहन मालिक के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी है। यह एक व्यावसायिक वाहन है। काफी लंबे समय तक जप्त रहने की स्थिति में वाहन मालिक को अत्यधिक आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। अतः अनुरोध है कि जप्त ट्रक को विमुक्त करने की कृपा की जाए।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त स्पष्ट है कि वाहन ट्रक सं0 बी0आर0 01जी0बी0 1765 का उपयोग राज्य खाद्य निगम के द्वारा खाद्यान्न उठाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किया जाता है। अतः निम्न शर्त्तों के अधीन विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:

1. वाहन स्वामी 20.00 (बीस लाख) रूपये का बंध पत्र तथा इसी राशि के समतुल्य दो स्वतंत्र प्रतिभूतियॉं (Surety) समर्पित करेंगे।
2. वाद के निष्पादन तक वाहन का हस्तान्तरण नहीं किया जाएगा और न ही उसके भौतिक स्वरूप में किसी प्रकार की छेड़–छाड़ की जाएगी।
3. न्यायालय के आदेश पर वाहन को 24 घंटे के भीतर उपस्थापित करने की जिम्मेवारी वाहन स्वामी की होगी।
4. प्रत्येक माह के अंतिम गुरूवार को वाहन मालिक अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से इस न्यायालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यदि दो माह तक उनकी उपस्थिति प्राप्त नहीं होती है तो इस आदेश को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि शाखा, सारण, छपरा को निर्देश है कि वाहन मालिक से उक्त कागजात प्राप्त होने के पश्चात् उनके मूल प्रति से मिलान करके पूरी तरह से संतुष्ट होने के पश्चात् अपने स्तर से वाहन विमुक्ति आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे।

अभिलेख 29.1.15 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1040 दिनांक 17/12/14

प्रतिलिपि – अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, छपरा/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, NIC, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

वरि० उप समाहर्त्ता
जिला विधि शाखा, सारण